न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 09/2023

अनवान : —

1. रायसिंह पुत्र बलवंत जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र बलवंत जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 28/3/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072—2075 के खाता स0 165/224 की कुल 10.6740 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 का 1/15 हिस्सा भूमि व वादी स0 2 के 1/15 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीगण की वल्दीयत पार्वति दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम बलवंत है तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण को देह खातेदार दर्ज किया गया है जबकि वादीगण का सही पता रामपुरा तहसील रावतसर है तथा वादीगण को यह भूमि अपनी माता पार्वती के फौत होने पर विरासतन प्राप्त हुई है जिससे वल्दीयत में माता का नाम दर्ज हो गया है जबकि वादीगण के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में पिता का नाम वल्दीयत में दर्ज है जो कि इसी अनुसार दर्ज किया जावें। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के सही नाम दर्ज न होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है।

वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपनी वल्दीयत व पता शुद्धिकरण करवाकर मुताबिक पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि के अनअुसार वादी स0 1 का नाम राय सिंह पुत्र बलवंत जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर व वादी स0 2 का नाम महावीर पुत्र बलवंत जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर दर्ज करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दें तो कुछ दिन आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसी कारण वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण की वल्दीयत पार्वति दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम बलवंत है तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण को देह खातेदार दर्ज किया गया है जबकि वादीगण का सही पता रामपुरा तहसील रावतसर है तथा वादीगण को यह भूमि अपनी माता पार्वती के फौत होने पर विरासतन प्राप्त हुई है जिससे वल्दीयत में माता का नाम दर्ज हो गया है जबकि अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम वल्दीयत में दर्ज है जो कि इसी अनुसार दर्ज किया जावें व पता देह खातेदार के स्थान पर रामपुरा तहसील रावतसर दर्ज किया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता स0 165/224 की कुल 10.6740 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 का 1/15 हिस्सा भूमि व वादी स0 2 के 1/15 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादीगण द्वारा उक्त वाद भूमि में माता पार्वती के स्थान पर पिता बलवंत का नाम एवं पता देह खातेदार के स्थान पर रामपुरा तहसील रावतसर करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक , पटवारी हल्का ललानिया द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादीगण का नाम सही करने एवं पता रामपुरा तहसील रावतसर करने हेतु अभिशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र व तहसीदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता स0 165/224 की कुल 10.6740 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 का 1/15 हिस्सा भूमि व वादी स0 2 के 1/15 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी संख्या 1 रायसिंह पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार के स्थान पर राय सिंह पुत्र बलवंत जाति नायक सा0 रामपुरा तहसील रावतसर व वादी स0 2 महावीर पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार के स्थान पर राय सिंह पुत्र बलवंत जाति नायक सा0 रामपुरा तहसील रावतसर** का

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि रायसिंह पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार व महावीर पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार के नाम से हो तो उसके लिए वादीगण का नाम रायसिंह पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार व महावीर पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 09/2023

अनवान : –

1. रायसिह पुत्र बलवंत जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र बलवंत जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता स0 165/224 की कुल 10.6740 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 का 1/15 हिस्सा भूमि व वादी स0 2 के 1/15 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी संख्या 1 रायसिंह पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार के स्थान पर राय सिंह पुत्र बलवंत जाति नायक सा0 रामपुरा तहसील रावतसर व वादी स0 2 महावीर पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार के स्थान पर राय सिंह पुत्र बलवंत जाति नायक सा0 रामपुरा तहसील रावतसर** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि रायसिंह पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार व महावीर पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार के नाम से हो तो उसके लिए वादीगण का नाम रायसिंह पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार व महावीर पुत्र पार्वती जाति नायक सा0 देह खातेदार ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/3/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर